फर्द अहकाम

बनाम सरकार

उपखण्ड अधिकारी
न्यायालय जयपुर-द्वितीय(सांगानेर) जयपुर — अनिता

संख्या 219/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
24/7/24	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत [illegible] व रिकार्ड दुरुस्ती का पेश किया। रिपोर्ट [illegible] तलब हो [illegible] पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो तलबी अप्रार्थीगण को जारी होकर दिनांक 26/7/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	नोटिस जारी 5067 24/7/24
26/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। TOR सांगानेर से जवाब प्राप्त शामिल मिसल हुई। [illegible] गई प्रार्थी की ओर से प्रार्थना स्वीकार किया जाता [illegible] [illegible] पत्रावली फैसल [illegible] दर्ज [illegible] तामील [illegible] हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुय-द्वितीय(सांगानेर) जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:01:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या : 219/2024
निर्णय दिनांक : 26.07.2024

1. अनिश अग्रवाल पुत्र श्री अशोक अग्रवाल निवासी मकान संख्या 4–स–17, कॉलोनी जवाहर नगर, जयपुर।
2. संदीप शर्मा पुत्र श्री तोताराम शर्मा पार्टनर मैसर्स उदय गजराज रियल एस्टेट एल एल पी पता–मकान संख्या 302, कॉलोनी गोल्डन सनराईज अपार्टमेन्ट, लाजपत मार्ग, सी–स्कीम, अशोक मार्ग, जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी व रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2455 रकबा 0.27 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2456 रकबा 0.18 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2457 रकबा 0.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2464 रकबा 0.30 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2465/3689 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2466 रकबा 0.43 हैक्टयर, कुल किता 6 कुल रकबा 1.46 हैक्टयर जो वाके ग्राम गोनेर पटवार हल्का गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित है। जो कि राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण के नाम से इन्द्राज है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2465/3689 रकबा 0.15 हैक्टयर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे सही है। किन्तु ट्रेस नक्शा की माप करते है तो 0.0744 हैक्टयर ही होती है। इस प्रकार राजस्व विभाग के कर्मचारियो ने खसरा नम्बर 2465/3689 रकबा 0.15 हैक्टयर का ट्रेस नक्शा बनाया है उसको कम करते हुए ट्रेस नक्शा डाटरलाईन करते हुए 0.0744 हैक्टयर का ही ट्रेस नक्शा बनाया है जबकि खसरा नम्बर 2465/3689 रकबा 0.15 हैक्टयर है तो ट्रेस नक्शा भी 0.15 हैक्टयर का बनाना चाहिये था यहां यह अंकित करना आवश्यक है कि खसरा नम्बर 2465/3689 का मूल खसरा नम्बर 2465 है [illegible] रकबा 0.10 हैक्टयर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अंकित है। जो सही है [illegible] की माप करते है तो 0.1853 हैक्टयर बनता है जो कि गलत है। इस प्रकार राजस्व विभाग के कर्मचारियो ने गलत इन्द्राज किया है। जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दुरूस्त किया जा सकता है। प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2465/3689 रकबा 0.15 हैक्टयर के ट्रेस

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:01:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय(सांगानेर) जयपुर

नक्शे को दुरूस्त करने हेतु श्रीमान तहसीलदार सांगानेर के समक्ष आवेदन किया तो श्रीमान तहसीलदार सांगानेर ने सक्षम न्यायालय से आदेश लाने के लिये कहा। जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश करना लाजमी हुआ है। प्रार्थीगण अधिकारी है कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 2465/3689 रकबा 0.15 हैक्टयर जिसका ट्रेस नक्शा मे 0.0744 हैक्टयर कर दिया गया है उस ट्रेस नक्शे को दुरूस्त करवाकर ट्रेस नक्शे में 0.15 हैक्टयर करवाने के अधिकारी है साथ ही पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को आदेशित किया जावे कि वह प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 2465/3689 रकबा 0.15 हैक्टयर जिसका ट्रेस नक्शा मे 0.0744 हैक्टयर कर दिया गया है उस ट्रेस नक्शे को दुरूस्त करवाकर ट्रेस नक्शे में 0.15 हैक्टयर करे तथा वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी तहसीलदार सांगानेर ने जवाब प्रार्थना पेश किया। तहसीलदार सांगानेर ने अपने जवाब में अंकित किया कि प्रार्थी ने जो प्रार्थना पत्र न्यायालय मे पेश किया है उसका अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। अपने जवाब में अंकित किया है कि प्रार्थी खसरा नम्बर 2465/3689 का जमाबन्दी में रकबा 0.15 हैक्टयर है परन्तु नक्शा सीट में रकबा 0.0744 हैक्टेयर है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 2465 का रकबा जमाबन्दी में 0.10 हैक्टेयर है परन्तु नक्शा शीट में रकबा 0.1853 हैक्टेयर है।

प्रार्थी अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहाराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को आदेशित किया जावे कि वह प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 2465/3689 रकबा 0.15 हैक्टयर जिसका ट्रेस नक्शा मे 0.0744 हैक्टयर कर दिया गया है उस ट्रेस नक्शे को दुरूस्त करवाकर ट्रेस नक्शे में 0.15 हैक्टेयर करे तथा वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करे।

बहस प्रार्थी अधिवक्ता एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन कराने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरूस्ती एवं पत्थरगढी भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी अन्य दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो [illegible] तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित प्रार्थीगण की कृषि भूमि [illegible] 65/3689 रकबा 0.15 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 2465 रकबा 0.10 हैक्टेयर [illegible] मध्य की तरमीम वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज रकबे अनुसार की जाकर नक्शे को दु[illegible]त किया जावे एवं प्रार्थी के पाडौसी खातेदारों को नियमानुसार सूचित कर समस्त पडौसी खातेदारों की उपस्थिति में

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय(सांगानेर) जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:01:59 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम गोनेर पटवार हल्का गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित खसरा नम्बर 2465/3689 रकबा 0.15 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 0.15 हैक्टेयर का सीमाज्ञान कर सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी की जावें। दौराने पत्थरगढी काननू व्यवस्था को ध्यान रखा जावें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
द्वितीय(सांगानेर) जयपुर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगानेर जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:01:59 IST
Reason: SelfAttested